पत्रांक–08 / भूदान (जाँच आयोग)शिवहर–16–11 / 2023– 20– (8) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–14/11/25

विषय – **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत भू–दान की भूमि का सर्वेक्षण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–626, दिनांक–27.06.2018 द्वारा भू–दान यज्ञ समिति का विघटन एवं विघटन अवधि के लिए समिति में निहित कर्त्तव्य, शक्ति एवं कार्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में सन्निहित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य वर्त्तमान में राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भ है तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम / नियमावली अन्तर्गत प्रपत्र–6 में खेसरा पंजी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत भू–दान वितरण जाँच आयोग के प्रतिवेदनानुसार अवितरित भूमि के स्वामित्व निर्धारण की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि भूदान की अवितरित भूमि के संबंध में निम्नरूपेण कार्रवाई की जाय :–

1. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम / नियमावली अन्तर्गत प्रपत्र–6 में खेसरा पंजी निर्माण के क्रम में अवितरित भूदान की भूमि को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रम के अन्तर्गत धारण का प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भूदान भूमि) का नाम दर्ज किया जाय।

2. खेसरा पंजी के अभ्युक्ति कॉलम में नवैयत (स्वामित्व का आधार) में भूदान भूमि दर्ज किया जाय।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।